

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम –सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 266 / 2026

रणवीर कुमार उर्फ गोरे बनाम बिहार सरकार

हरनौत थाना कांड सं0 576 / 2025

अंतर्गत धारा 317(4), 317(5), 310(4), 310(5) बी. एन. एस. एवं 25(1-बी) ए 26, 35 शस्त्र अधिनियम ।

12.03.2026

दिनांक 27.12.2025 से कारावासित अभियुक्त **रणवीर कुमार उर्फ गोरे** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम सुंदर प्रसाद तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

सूचक मुकेश कुमार वर्मा, पु0 अ0 नि0 –सह थानाध्यक्ष हरनौत के टंकित आवेदन के अनुसार मामला यह है कि दिनांक 25.12.2025 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बालों के साथ हरनौत बख्तियारपुर मुख्य सड़क पर बाबा ढाबा के समीप वाहन चेकिंग करने लगे । समय करीब 23:30 बजे एक बाईक पर दो व्यक्ति बैठे हुए आ रहे थे उन्हें रूकवाया गया तभी पीछे से एक ब्लू रंग का स्वीफ्ट डिजायर गाड़ी काफी तेजी से आई और चकमा देकर भागने का प्रयास करने लगा । सशस्त्र बलों के सहयोग से मोटरसाईकिल तथा कार का घेराबंदी कर रोका गया । उसी समय एक पीकअप को भी रूकवाया गया । सभी व्यक्तियों से बारी-बारी से नाम पता पूछा गया तो बाईक पर बैठा व्यक्ति ने अपना नाम 1. सौरव कुमार मोटरसाईकिल चालक 2. नरसिंह कुमार उर्फ धुरी यादव, 3. चालक रौशन कुमार पिता रामनंद यादव 4. चालक के बगल में सीट पर बैठा हुआ गोरे उर्फ रणवीर कुमार, 5. पीछे सीट पर बैठा हुआ क्रमशः 5. ब्रजेश कुमार, 6. रंजन कुमार, 7. चालक अजय कुमार, 8. छोटू कुमार बताये । उक्त लोगों का बारी-बारी से तलाशी लेने पर सौरव कुमार के पॉकेट से स्क्रीनटच मोबाईल मिला, मोटरसाईकिल के आगे-पीछे कोई नम्बर अंकित नहीं था । मोटरसाईकिल चालक से ड्राइवरी लाईसेंस तथा वाहन के संबंध में इनसे मिले मोबाईल का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई संतोषजनक जबाव दिये । स्वीफ्ट डिजायर में सवार व्यक्तियों को बारी-बारी से तलाशी लिया गया तो तलाशी के क्रम में चालक के द्वारा न ही ड्राइविंग लाईसेंस और ना ही स्वीफ्ट डिजायर गाड़ी का कोई वैध कागजात प्रस्तुत किया गया । स्वीफ्ट डिजायर गाड़ी का रजि. नं. बी. आर. 01 बी. एम. 1741 पाया गया । तलाशी के क्रम में स्वीफ्ट डिजायर के चालक रौशन कुमार के पास से एक मोबाईल बरामद हुआ एवं इनके कमर में खोसा हुआ एक लोडेड देशी कट्टा बरामद हुए । उसके अंदर .315 बोर के गोली पाया गया । अग्नेयास्त्र के संबंध में अनुज्ञप्ति की मांग की गई परंतु कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया न ही कोई संतोषजनक उत्तर दिया गया । बगल के सीट पर बैठा गोरे उर्फ रणवीर कुमार के पास से मोबाईल बरामद हुआ । पीछे बैठे व्यक्ति ब्रजेश कुमार के पास से भी एक लाल रंग का मोबाईल बरामद हुआ । पीछे बैठे एक अन्य व्यक्ति रंजन कुमार के पॉकेट से एक उजला रंग का मोबाईल एवं कीपैड मोबाईल बरामद हुआ । तत्पश्चात पिकअप की तलाशी लेने पर पिकअप

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम –सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 266 / 2026

रणवीर कुमार उर्फ गोरे बनाम बिहार सरकार

हरनौत थाना कांड सं0 576 / 2025

अंतर्गत धारा 317(4), 317(5), 310(4), 310(5) बी. एन. एस. एवं 25(1-बी) ए 26, 35 शस्त्र अधिनियम ।

लगातार

12.03.2026

चालक के द्वारा ना ही तो लाईसेंस दिखाया गया और ना ही उक्त वाहन का कोई कागजात प्रस्तुत किया । इनके पॉकेट से वीवों कंपनी का मोबाईल बरामद किया गया । पीकअप का रजि0 नं0 बी आ0 01 जी0 जी0 2078 पाया । पिकअप के तलाशी के क्रम में पिकअप के अंदर लदा हुआ दो बंडल काटा हुआ बिजली का सिल्वर वाला तार तथा बिजली से संबंधित जम्फर रखा हुआ पाया गया । सभी व्यक्तियों को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ करने पर ब्रजेश कुमार के द्वारा बताया गया कि ये तथा इनके सभी साथी आज बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे । इनके द्वारा आगे बताया गया पिछले दो-तीन महीनों में हरनौत थाना क्षेत्र के चेरण, मोबारकपुर, तेलमर, बाढ़, इस्लामपुर आदि क्षेत्रों में 15 से अधिक बिजली के तार को काटकर चोरी कर, बेचने की घटना को अंजाम दिया गया । इससे आगे पूछताछ करने पर बताया गया कि मोटरसाईकिल, स्वीफ्ट डिजायर में सवार तथा पिकअप में सवार सभी आठ लोग एक ही गिरोह के सदस्य हैं तथा इनके मुख्य सरगना रंजन कुमार तथा रौशन कुमार हैं । रौशन से पूछताछ करने पर बताया गया कुछ दिन पहले हरनौत चेरन में बिजली का तार काटने के क्रम में दो बंडल तार तथा जम्फर आदि छूट गया था जिसे वहीं छिपाकर रख दिये थे । आज सभी लोग मिलकर पिकअप पर लोड कर लिए तथा हरनौत की तरफ एक लूट की घटना को कारित करने के लिए इकट्ठा हुये थे । पूछताछ के क्रम में रौशन कुमार के द्वारा बताया गया कि बिजली तार चोरी की घटना दिनांक 02.12.2025 को 09.12.2025 को, चेरन में 23.12.2025 को मुबारकपुर में तथा विभिन्न तिथि को तेलमर, बाढ़ तथा इस्लामपुर में बिजली का तार काटकर चोरी किये थे । आगे बताया कि सभी कटा हुआ तार को पिकअप पर लोड कर छोड़ तथा अजय पटना लेकर जाता है तथा अगमकुआ में धनुकी मोड़ के पास आनंद कुमार के गोदाम में बेच देता है । उसके बदले आंदन कुमार काफी मोटा रकम दे देते हैं । सभी पकड़ाये व्यक्तियों के पास से बरामद मोबाईल, अग्नेयास्त्र, बिना नम्बर का मोटरसाईकिल, स्वीफ्ट डिजायर कार एवं पिकअप का बारी-बारी से जप्ती सूची तैयार कर साक्षियों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया । उक्त सभी पकड़ाये व्यक्तियों का सरगना रौशन कुमार एक संगठित तार चोरी गिरोह के पेशेवर सदस्य है । जिनके कब्जे से तार चोरी में उपयोग आने वाले अग्नेयास्त्र, गोली एवं मोबाईल बरामद हुए हैं । चोरी करना, चोरी का सामान खरीद बिक्री करना, अवैध अग्नेयास्त्र रखना तथा लूट की योजना बनाना एक संज्ञेय अपराध है जिसमें सभी व्यक्ति क्रमशः 1. सौरभ कुमार, 2. रणवीर कुमार उर्फ गोरे, 3. ब्रजेश कुमार, 4. अजय कुमार, 5. रौशन कुमार, पिता रामानंद यादव, 6. छोटू कुमार, 7. रंजन कुमार, 8. नरसिंह कुमार उर्फ धुरी, 9. आनंद कुमार

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम –सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 266 / 2026

रणवीर कुमार उर्फ गोरे बनाम बिहार सरकार

हरनौत थाना कांड सं0 576 / 2025

अंतर्गत धारा 317(4), 317(5), 310(4), 310(5) बी. एन. एस. एवं 25(1-बी) ए 26, 35 शस्त्र अधिनियम।

लगातार

12.03.2026

को आरोपित किया गया है ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । इनके पास से कोई चोरी गये सामान की बरामदगी नहीं किया गया है । आवेदक के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं का अभियोग बनता प्रतीत नहीं होता है । इस वाद के कई सह-अभियुक्तों को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत आवेदन सं0 [107 / 26](#), [109 / 26](#), [212 / 26](#), 191 / 26, [119 / 26](#), [112 / 26](#), [130 / 26](#) के माध्यम से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है । इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है । वह दिनांक 27.12.2025 से न्यायिक हिरासत में है । अतः इनको जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक / अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा यह स्वीकार करते हैं कि इस वाद के कई सह-अभियुक्तों को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया है ।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया और पाया कि आवेदक के पास से चोरी गई सामान बरामद नहीं किया गया है । इस वाद के कई सह-अभियुक्तों को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत आवेदन सं0 [107 / 26](#), [109 / 26](#), [212 / 26](#), 191 / 26, [119 / 26](#), [112 / 26](#), [130 / 26](#) के माध्यम से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है । आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है । वह दिनांक 27.12.2025 (करीब ढाई माह) से न्यायिक हिरासत में है ।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विशेष रूप से आवेदक के कारावधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक को 10,000 / - रु0 के जमानत तथा समान राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर अनुसंधान पूर्ण होने तक औपबंधिक जमानत का लाभ इस शर्त पर प्रदान किया जाता है कि आवेदक का एक जमानतदार इनके मात / पिता होंगे तथा आवेदक अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा आवेदक वाद के अनुसंधान पूर्ण होने तक न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जायेंगे ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
–सह विशेष न्यायाधीश,
नालन्दा, बिहारशरीफ ।

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम –सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 266 / 2026

रणवीर कुमार उर्फ गोरे बनाम बिहार सरकार

हरनौत थाना कांड सं० 576 / 2025

अंतर्गत धारा 317(4), 317(5), 310(4), 310(5) बी. एन. एस. एवं 25(1-बी) ए 26, 35 शस्त्र अधिनियम।